# प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1.जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2023.....
प्र0सू0रि0 सं. .....311/2023..... दिनांक .....27/12/23.....

2.(i) अधिनियम....भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारायें ..... 7 ...
(ii) अधिनियम.....धारायें.....
(iii) अधिनियम..... धारायें.....
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या.....1127..... समय .....4.10 P.M.....
(ख) अपराध घटने का दिन मंगलवार दिनांक :– 26.12.2023 समय ....02.33 पीएम .....
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– ..... समय .....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :–पुलिस थाना फतेहपुर सदर जिला सीकर
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– चौकी से उत्तर–पश्चिम दिशा में करीब 50 किलोमीटर
(ब) पता :– पुलिस थाना फतेहपुर सदर जिला सीकर
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री दुर्गाराम
(ब) पिता/पति का नाम :– श्री मघाराम
(स) जन्म तिथि/वर्ष :– 60 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता– ..... भारतीय .....
(य) पासपोर्ट संख्या .....
जारी करने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसाय :– .....
(ल) पता :– कांरगा छोटा पुलिस थाना फतेहपुर सदर जिला सीकर .....

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
श्री इन्त्याज खान पुत्र श्री उम्मेद खॉ जाति कायमखानी उम्र 55 वर्ष निवासी कायमखानी कोटड़ी वार्ड नं. 11, डुण्डलोद पुलिस थाना मुकुन्दगढ जिला झुन्झुनूं हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना फतेहपुर सदर जिला सीकर

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....
..... कोई देरी नहीं हुई .....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
.....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... रिश्वती राशि 50,000 रूपये.....

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर

विषय :– भ्रष्ट लोकसेवक के खिलाफ कानूनी कारवाई करने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मैं दुर्गाराम पुत्र श्री मघाराम निवासी कांरगा छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर का रहने वाला हूँ। मैं गॉव में रहकर अपनी मजदूरी करके जीविका चलाता हूँ। मैंने दिनांक 25.01.1994 को जरिए एग्रीमेंन्ट श्री कल्याण सिंह से 1 बीघा भूमि खरीदी थी और उक्त खरीद शुदा जमीन को मैंने जरिए एग्रीमेंन्ट दिनांक 05.11.1998 को रिछपाल सिंह को बेच दी थी। मेरी उक्त जमीन खरीदने व बेचने को लेकर हमारे गॉव के श्री भॅवर सिंह ने मुकदमा नं. 123/2023 पुलिस थाना फतेहपुर सदर जिला सीकर में रिछपाल सिंह के खिलाफ करवाई है। उक्त मुकदमे की जॉच फतेहपुर सदर थाने के श्री इन्तयाज खान, एएसआई कर रहे है। उन्होने उक्त मुकदमें के अनुसंधान हेतु मुझे थाने पर बुलाया था तो दिनांक 20.12.2023 को मैं अपने भतीजे श्री रामप्रकाश को लेकर पुलिस थाना फतेहपुर सदर में इन्तयाज खान, एएसआई के पास गये थे। बातचीत के दौरान श्री इन्तयाज खान ने मुझे तो अलग बैठाया और मेरे भतीजे रामप्रकाश को

अलग ले जाकर कहा कि तुम मुझे एक लाख रूपये दे दो तो मैं तुम्हारा नाम इस मुकदमे से निकाल दूगां और यदि तुम मुझे एक लाख रूपये नही दोगे तो तुम्हे मैं इस मुकदमे में गिरफ्तार करके जेल भेज दूंगा। यह बात मुझे थाने से बाहर आने पर मेरे भतीजे रामप्रकाश ने बतायी थी। इसके बाद मैं और मेरा भतीजा रामप्रकाश घर आ गये। मैंने उक्त जमीन खरीदने व बेचने में किसी प्रकार का कोई गलत काम नही किया है। इसके बावजुद भी श्री इन्तयाज खान मुझे उक्त मुकदमें में गिरफ्तारी का भय दिखाकर एक लाख रूपये रिश्वत लेना चाहता है। मैं श्री इन्तयाज खान को रिश्वत नही देना चाहता हूँ। उसे मुझसे एक लाख रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ। अतः आप नियमानुसार कानूनी कारवाई करने की कृपा करें। दिनांक 22.12.2023, एसडी–दुर्गाराम पुत्र श्री मघाराम निवासी कांरगा छोटा तहसील फतेहपुर सीकर मो.न. 9636318729, ट्रेप कार्यवाही शुरू की जाती है। एसडी–श्री रवीन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस दिनांक 22.12.2023, एसडी–अमर सिंह दिनांक 26.12.2023, एसडी–विक्रम सैनी दिनांक 26.12.2023

कार्यवाही पुलिस

22.12.2023

02.00 पीएम इस समय परिवादी श्री दुर्गाराम पुत्र श्री मघाराम जाति मेघवाल उम्र 60 वर्ष, निवासी कांरगा छोटा पुलिस थाना फतेहपुर सदर जिला सीकर मय अपने भतीजे श्री रामप्रकाश पुत्र श्री गोपाल राम जाति मेघवाल उम्र 28 वर्ष के उपस्थित चौकी आया व मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपरोक्त लिखित प्रार्थना पत्र मय मुकदमा नं. 123/2023 पुलिस थाना फतेहपुर सदर जिला सीकर की एफआईआर की फोटो प्रति के प्रस्तुत की। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी श्री दुर्गाराम ने प्रार्थना पत्र अपने पुत्र श्री सांवरमल से लिखवाकर लाना बताया व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का सही होना बताते हुये श्री इन्त्याज खान, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना फतेहपुर सदर जिला सीकर से पहले की कोई रंजीश अथवा उधार लेनदेन नहीं होना बताया। परिवादी श्री दुर्गाराम ने बताया कि आरोपी अधीकारी श्री इन्त्याज खान, स.उ.नि. रिश्वत लेनदेन की बातचीत मेरे से नही करेंगा वह रिश्वत लेनदेन की बातचीत मेरे भतीजे श्री रामप्रकाश से ही करेगा। इसलिये अग्रिम कार्यवाही मेरा भतीजा श्री रामप्रकाश ही करवायेगा। इस पर श्री रामप्रकाश ने भी अग्रिम कार्यवाही हेतु अपनी सहमती प्रदान की। प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो व मजीद दरियाफत से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत लेन–देन का पाया जाता है। अतः रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। गोपनीय सत्यापन से जैसी स्थिति होगी वैसी कार्यवाही की जावेगी। एसडी– रवीन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस दिनांक 22.12.2023

तत्पश्चात समय 02.30 पीएम पर कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मंगवाया जाकर सह परिवादी श्री रामप्रकाश को डीवीआर को चालू व बन्द करने की विधि समझाई गई व श्री कैलाश चन्द कानि. नं.386 का सह परिवादी श्री रामप्रकाश से परिचय करवाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु सह परिवादी श्री रामप्रकाश ने बताया कि आज मुझे घर आवश्यक कार्य है इसलिये मैं आज रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही नही करवा सकता। मैं कल दिनांक 23.12.2023 को आपको जरिये दुरभाष मांग सत्यापन कार्यवाही के बारे में बता दूगां, जिस पर आप अपने कार्यालय के श्री कैलाश चन्द कानि. नं. 386 को डीवीआर सहित फतेहपुर भिजवा देना जहॉ पर मैं श्री कैलाश चन्द कानि. से मिलकर डीवीआर प्राप्त करके आगे की रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा दूंगा। इस पर परिवादी श्री दुर्गाराम एवं सह परिवादी श्री रामप्रकाश को मुनासिब हिदायत कर समय 3.00पीएम पर कार्यालय से रवाना किया गया एंव श्री कैलाश चन्द कानि. को भी हिदायत मुनासीब की गई।

तत्पश्चात दिनांक 23.12.2023 को समय 08.30 एएम पर जरीये दुरभाष सह परिवादी श्री रामप्रकाश ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को कहा कि मैं करीब 10.30एएम पर फतेहपुर सदर थाने के पास पहुॅच जाउंगां। आप अपने कार्यालय के कानि. श्री कैलाश चन्द को डीवीआर देकर मेरे पास भिजवा दो ताकि आज मैं श्री इन्त्याज खान, एएसआई से मिलकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने सह परिवादी श्री रामप्रकाश को हिदायत मुनासीब की तथा श्री कैलाश चन्द कानि. नं. 386 को समझाईश कर डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के खाली होना सुनिश्चित कर सुपुर्द कर कार्यालय से हिदायत मुनासीब कर सह परिवादी श्री रामप्रकाश के पास फतेहपुर सदर थाने के पास जाने के लिए रवाना किया गया। समय 01.30 पीएम पर कानि. कैलाश चन्द नं. 386 मय सह

परिवादी श्री रामप्रकाश के एसीबी कार्यालय सीकर में मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आये। कानि. कैलाश चन्द नं. 386 ने डीवीआर मय मेमारी कार्ड के मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि "मैं कार्यालय से रवाना होकर फतेहपुर में पहुॅच मैने सह परिवादी श्री रामप्रकाश से सम्पर्क किया तो वो मुझे पुलिस थाना फतेहपुर सदर के पास उपस्थित मिला, जहॉ पर मैनें कार्यालय का डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के चालुकर सह परिवादी श्री रामप्रकाश को सुपुर्द कर दिया था जिसे सह परिवादी लेकर पुलिस थाना फतेहपुर सदर के अन्दर चला गया था। सह परिवादी श्री रामप्रकाश के पुलिस थाना फतेहपुर सदर से कुछ देर बाद बाहर आने पर मैनें टेप रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था। सह परिवादी श्री रामप्रकाश ने मुझे बताया कि मैने श्री इन्त्याज खान, एएसआई से हमारे मुकदमे के सम्बन्ध में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता कर आप द्वारा दिये गये डीवीआर में रिकार्ड कर ली एवं श्री इन्त्याज खान, एएसआई मुझ से पचास हजार रूपये रिश्वत लेने पर सहमत हुआ है।" इसके बाद मैं सह परिवादी श्री रामप्रकाश फतेहपुर से रवाना होकर आपके पास कार्यालय में आ गये। इसके पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने सह परिवादी श्री रामप्रकाश से इस सम्बन्ध में पुछताछ की तो उन्होने कानि. कैलाश चन्द द्वारा बताये गये तथ्यो की ताईद की। इसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस ने डीवीआर को चालु कर सुना तो कानि. एवं सह परिवादी के बतायो गये तथ्यो के क्रम में रिश्वत मांग की पुष्टि हुई। सह परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री इन्त्याज खान, एएसआई ने मेरे को आज ही रूपये देने की कही जिस पर मेरे द्वारा उसको रिश्वती राशि 50 हजार रूपये सोमवार या मगंलवार को देने की कही तो वह सहमत हो गया। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने सह परिवादी श्री रामप्रकाश को रिश्वत में दिये जाने के लिए पचास हजार रूपये की व्यवस्था कर मगंलवार को कार्यालय समय में उपस्थित आने की हिदायत कर कार्यालय से समय 2.00 पीएम पर रवाना किया। डीवीआर को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित आलमारी में रखा। आईन्दा परिवादी के आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

तत्पश्चात दिनांक 26.12.2023 को समय 10.00 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने सहायक श्रम आयुक्त, श्रम विभाग सीकर को जरीये दुरभाष दो स्वंतत्र गवाहान गोपनीय कार्यवाही हेतु एसीबी कार्यालय, सीकर में भिजवाने हेतु निवेदन किया। समय 11.00 एएम पर परिवादी श्री दुर्गाराम एवं सह परिवादी श्री रामप्रकाश उपस्थित कार्यालय आये। जिनको कार्यालय में बिठाया गया। समय 11.10 एएम पर हस्ब तलवीदा स्वतंत्र गवाहान श्री अमर सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह, जाति कुमावत, उम्र 26 वर्ष निवासी बिदासर पुलिस थाना बलारा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, सीकर एवं श्री विक्रम सैनी पुत्र श्री प्रभुदयाल सैनी, जाति माली, उम्र 34 वर्ष निवासी कांवट पुलिस थाना खण्डेला जिला सीकर हाल कनिष्ठ सहायक, जिला रोजगार कार्यालय उपस्थित कार्यालय आये। जिनका परिचय पूर्व से उपस्थित परिवादी दुर्गाराम एवं सह परिवादी श्री रामप्रकाश एवं ब्यूरो स्टॉफ से करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढकर सुनाया जाकर प्रार्थना पत्र पर दोनों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामलें में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई।

तत्पश्चात समय 11.30 एएम पर सह परिवादी श्री रामप्रकाश के समक्ष परिवादी श्री दुर्गाराम पुत्र श्री मघाराम जाति मेघवाल उम्र 60 वर्ष, निवासी कांरगा छोटा पुलिस थाना फतेहपुर सदर जिला सीकर को हिदायत देने पर आरोपी श्री इन्त्याज खान, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना फतेहपुर सदर जिला सीकर को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले नोट पांच–पांच सौ रूपये के 100 नोट कुल 50,000 रूपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :–

1–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2EQ 370924
2–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3TB 935931
3–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3UD 715384
4–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0HC 776709
5–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6FP 992664
6–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6RK 390497
7–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6RK 390495
8–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6RK 390496
9–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9BQ 484753
10–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5AS 884880

11–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2TV 760887
12–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5QA 148232
13–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2SQ 404720
14–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8NN 384656
15–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6CM 934848
16–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8LN 634490
17–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8HE 423852
18–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8KR 100950
19–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3VM 675448
20–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4GP 261956
21–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7RM 877820
22–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7BP 817455
23–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8WS 053319
24–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1HW 698401
25–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4RK 020801
26–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7GN 304946
27–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6SE 353821
28–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6NV 716257
29–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7EP 465428
30–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9MN 936363
31–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3FP 033670
32–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1QE 551441
33–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1HQ 337113
34–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7AL 047208
35–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2QM 678739
36–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8PK 605092
37–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1CT 217902
38–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7HF 648952
39–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2EU 178369
40–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9GG 119481
41–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8RM 299175
42–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9DB 892242
43–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0FT 932001
44–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8GD 160485
45–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8MW 672781
46–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0EE 449078
47–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3ET 570868
48–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0CS 813721
49–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4FS 719133
50–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1FS 659549
51–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3LT 059069
52–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1UE 467944
53–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9HH 123541
54–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7HC 421922
55–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6TU 363599
56–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8FF 159490
57–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6AW 450777
58–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4SC 784526
59–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0GM 833104
60–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4DL 819482
61–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3PU 133169

62–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4QD 047930
63–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 KH 099735
64–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0BA 562208
65–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8QD 867907
66–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8VC 654654
67–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3ME 646345
68–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1 CN 131655
69–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4RT 315480
70–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2FW 974964
71–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1BB 658230
72–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8DE 077969
73–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5CS 460393
74–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0HN 562520
75–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6 TK 632813
76–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8DR 932433
77–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3SG 062697
78–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5TR 794468
79–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2TF 210203
80–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1HM 652677
81–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3QT 436871
82–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0CH 134870
83–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8CL 816578
84–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9CU 540738
85–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6FW 507737
86–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9QT 402649
87–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6QB 061349
88–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8EU 107502
89–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9QB 978629
90–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4BK 576483
91–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5FF 303868
92–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4EU 877172
93–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3MS 373794
94–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4BD 817760
95–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5 CP 237493
96–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8AC 686667
97–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0FS 055897
98–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5TN 755294
99–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3 VC 955020
100–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2WN 803655

उपरोक्त समस्त नोटों पर श्री अशोक कुमार, हैड कानि. 76 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया जाकर गवाह श्री अमर सिंह से सह परिवादी श्री रामप्रकाश की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे 50,000 रूपयों के नोट श्री अशोक कुमार, हैड कानि. 76 से सह परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर सह परिवादी को रास्ते में इन रूपयों को नही छुने व मिलने पर आरोपी से हाथ नही मिलाने एवं आरोपी से अपने काम के संबध में बात करने तथा आरोपी द्वारा मांग किये जाने पर स्वंय की जेब में रखे पाऊडर लगे रूपये निकालकर उसे देने तथा आरोपी द्वारा रिश्वत स्वीकार कर प्राप्त कर लेने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर अथवा अपने मोबाईल फोन नम्बर 9587588596 से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन नम्बर 9414000061 पर मिस कॉल देकर ईशारा करने की हिदायत दी गई। इसके बाद एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें थोड़ा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो

पानी का रंग नही बदला इस घोल में श्री अशोक कुमार, हैड कानि. 76 जिसने नोटो पर फिनोपथलीन पाऊडर लगाया, के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार प्रदर्शन करवाकर दोनो पाऊडरों की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी एवं सह परिवादी व गवाहान को समझाया गया। फिनोपथलीन पाऊडर की शीशी गवाहान की मौजूदगी में श्री अशोक कुमार, हैड कानि. 76 से कार्यालय के मालखाना में रखवाकर ताला बंद करवाया गया। प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल को फेंक कर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास एंव कागज जिस पर रखकर रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया था, को जलाकर नष्ट कराया गया। परिवादी, सह परिवादी, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन हेतु काम में लिये जाने प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास कुल नग 10 व कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुयें ट्रेप बोक्स तैयार करवाया गया। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गयी। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईश कर मुनासिब हिदायत दी गयी। कार्यालय की डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर उक्त डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु सह परिवादी श्री रामप्रकाश को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी व सुपुर्दगी नोट प्रथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय करीब 12.30 पीएम पर सह परिवादी श्री रामप्रकाश ने बताया कि मैंने गोपनीय रूप से मालुम किया है कि श्री इन्त्याज खान, एएसआई पुलिस थाना फतेहपुर सदर में उपस्थित है। समय 01.00 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री दुर्गाराम, सह परिवादी श्री रामप्रकाश, स्वतंत्र गवाहान श्री अमर सिंह एवं श्री विक्रम सैनी एवं ब्यूरो स्टॉफ के श्री रोहिताश्व सिंह, एएसआई, श्री मनोज कुमार हैड कानि. 134, श्रीमती सुनिता हैड कानि. 43, श्री कैलाश चन्द कानि. 386, श्री कैलाश चन्द नं. 568, श्री मुलचन्द कानि. 207, श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10, श्री रामनिवास कानि. नं. 485, श्री अमित कुमार, कनिष्ठ सहायक, श्री सुरेश चन्द कानि. चालक के रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 23.12.2023 का डीवीआर आलमारी में से निकालकर मय ट्रेप बाक्स एंव लैपटॉप मय प्रिन्टर साथ लेकर जरिये प्राईवेट एवं सरकारी वाहनो के एसीबी कार्यालय से फतेहपुर की तरफ रवाना होकर समय 02.15 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के एसीबी कार्यालय सीकर से रवाना शुद्वा पुलिस थाना फतेहपुर सदर के पास हाईवे टी पॉइन्ट पर पहुॅचकर वाहनो को साईड में रूकवाकर परिवादी दुर्गाराम एवं सह परिवादी श्री रामप्रकाश को हिदायत मुनासिंब कर आरोपी श्री इन्त्याज खान, एएसआई के पास पुलिस थाना फतेहपुर सदर में रवाना किया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के परिवादी के इशारे के इन्तजार में हाईवे टी पॉइन्ट पर गोपनीय रूप से मुकिम हुआ।

तत्पश्चात समय 02.33 पीएम पर कस्बा फतेहपुर में पुलिस थाना फतेहपुर सदर के पास हाईवे टी पॉइन्ट पर वाहन में मुकिम मन् उप अधीक्षक पुलिस को समय 02.33 पीएम पर सह परिवादी रामप्रकाश ने अपने मोबाईल नं. 9587588596 से मेरे फोन नं. 9414000061 पर कॉल कर आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने का ईशारा प्राप्त होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतत्र गवाहान मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी को साथ लेते हुये पुलिस थाना फतेहपुर सदर में प्रवेश कर पुलिस थाने के अन्दर पुरूष बेरक के सामने सह परिवादी श्री रामप्रकाश एवं परिवादी श्री दुर्गाराम खड़े मिले। जिनके पास पहुॅचने पर सह परिवादी श्री रामप्रकाश ने डीवीआर मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया जिसे बन्द कर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने सुरक्षित अपने पास रख लिया। सह परिवादी श्री रामप्रकाश ने पुरूष बेरक में अन्दर की तरफ एएसआई की वर्दी में खड़े व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि ये श्री इन्त्याज खान, एएसआई साहब है जिनसे मैं एंव दुर्गाराम जी अभी थाने पर आकर उनसे अनुसंधान कक्ष में मिले तो उन्होने हमसे हमारे मुकदमे के सम्बन्ध में वार्ता की तथा एएसआई साहब ने रूपयो के लिए ईशारा किया एवं कहा कि कितने लाये हो जिस पर मैंने अपनी जैब में पाउडर लगे पचास हजार रूपये एएसआई साहब को देते हुये कहॉ कि पचास हजार रूपये है आपने इतने ही बताये थे, मैंने दुर्गाराम की तरफ ईशारा कर कहॉ कि ये गरीब आदमी है इसके लिए तो पचास हजार रूपये भी ज्यादा है। जिस पर एएसआई ने पचास हजार रूपये अपने दाहिने हाथ में लेकर दोनो हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुयी वर्दी की पेन्ट की दाहिने जेब में रख लिये और कहा कि इसमें थानेदार वगैरा सबका है। इसके बाद

श्री इन्त्याज खान, एएसआई साहब अनुसंधान कक्ष में से उठकर थाने में कोणे में बनी पुरूष बैरक में चले गये और उनके पिछे–पिछे मैं एवं दुर्गाराम भी बैरक की तरफ चले गये और आपको फोन कर ईशारा कर दिया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान को देखकर पुलिस की एएसआई की वर्दी पहने हुये उक्त व्यक्ति ने अपनी दाहिने जेब में रखे पॉच–पॉच सौ रूपये की थई को निकालकर कमरे में रखी कुर्सी के उपर रखे एक बेग पर फेक दिये। '' जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने पुलिस की एएसआई की वर्दी पहने उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादी से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो उक्त व्यक्ति ने घबराते हुये अपना नाम श्री इन्त्याज खान पुत्र श्री उम्मेद खॉ जाति कायमखानी उम्र 55 वर्ष निवासी कायमखानी कोटड़ी वार्ड नं. 11, डुण्डलोद पुलिस थाना मुकुन्दगढ जिला झुन्झुनूं हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना फतेहपुर सदर जिला सीकर होना बताते हुये कहा कि '' मैनें इनसे किसी प्रकार के पैसे नही मांगे, आज इन्होने मेरे को जबरदस्ती रूपये दिये है तथा मैं इनको जानता भी नही हूँ ये विजयपाल वकील के साथ थाने में आते जाते रहते है।'' मौके पर ही सह परिवादी रामप्रकाश ने श्री इन्त्याज खान, एएसआई के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि '' श्री इन्त्याज खान, एएसआई जी झुठ बोल रहे है, इन्होने पुलिस थाना फतेहपुर सदर में दर्ज प्रकरण संख्या 123/2023 में मेरे परिवार में चाचा श्री दुर्गाराम को आरोपी नही बनाने की एवज में गिरफ्तारी का भय दिखाकर एक लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहा था तथा दिनांक 23.12.2023 को मैं जब पुलिस थाना फतेहपुर सदर में इनसे मिला तो इन्होने मेरे चाचा दुर्गाराम का नाम उक्त मुकदमे से निकालने की एवज में पहले 60–70 हजार रूपये में सहमत हो गया तथा बाद में मेरे द्वारा पचास हजार रूपये की कहने पर अपनी मौन स्वीकृति दी तथा रूपयो के लिए मैंने इनको सोमवार या मगंलवार के लिए कहा था, जो एएसआई साहब के आज मांगने पर ही मैने पाउडर लगे पचास हजार रूपये इनको दिये जो इन्होने अपने दाहिने हाथ मे लेकर दोनो हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की दाहिनी जेब में रख कर अनुसंधान कक्ष से उठकर पुरूष बेरक में चले गये उसके बाद में मैने आपको इशारा कर दिया''। मौके पर मौजुद परिवादी श्री दुर्गाराम से पुछने पर परिवादी दुर्गाराम ने भी सह परिवादी श्री रामप्रकाश के कथनो की पुष्टी की। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने रिश्वती राशि आरोपी श्री इन्त्याज खान, एएसआई द्वारा प्राप्त कर लेने की पुष्टि होने पर आरोपी का दाहिना हॉथ कलाईयो के उपर से श्री मुलचन्द कानि. से एवं बॉया हाथ श्री कैलाश चन्द कानि. नं. 568 से पकड़वाया गया तथा आरोपी द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेप पाट्री को देखकर अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की दाहिनी जेब से पॉच–पॉच सौ रूपये के नोटो की थई पुरूष बैरक की कुर्सी पर रखे काले रंग के बेग पर फेक दिये थे, उक्त पॉच–पॉच सौ रूपये के नोटो की थई को गवाह श्री अमर सिंह से उठवाकर दोनो गवाहान से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी रिश्वती राशि से मिलान करवाया गया तो नोटो के नम्बर हुबहु पाये गये। रिश्वती राशि पचास हजार रूपये के नोटो एवं काले बैग जिस पर से रिश्वती राशि बरामद हुई को गवाह श्री अमर सिंह के पास सुरक्षित रखवाये गये। आरोपी इन्त्याज खान को उसी हालत में पकड़े हुये साथ लेकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान , परिवादी एवं सह परिवादी को साथ लेते हुये पुलिस थाने में बने कम्पयुटर कक्ष में पहुॅचकर अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। तत्पश्चात श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10 के दोनो हाथो एवं दो प्लास्टीक के डिस्पोजल गिलासो को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर गिलासो में साफ पानी भरवाकर थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी इन्त्याज खान, एएसआई के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपी इन्त्याज खान, एएसआई के बायें हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। दोनों हाथों के उक्त धोवन को अलग–अलग दो–दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा–आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क आर–1 एंव आर–2 से तथा बायें हाथ के धोवन को मार्क एल–1, एल–2 से सील्ड किया गया। प्लास्टीक के डिस्पोजल गिलासो को जलवाकर नष्ट करवाया गया।

तत्पश्चात इन्त्याज खान, एएसआई को दूसरी पेन्ट सम्मान पूर्वक उपलब्ध करवाकर उसकी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट को पेश करने की हिदायत देने पर उसने अपनी पहनी हुई पेन्ट निकालकर पेश की। तत्पश्चात श्री रामनिवास कानि. के दोनों हाथों एवं एक

नये प्लास्टीक के डिस्पोजल गिलास को साबून व पानी से धुलवाकर गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में आरोपी एएसआई की पहनी हुई पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब को उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों को साबून पानी से धुलवाकर उनमें आधा–आधा डलवाकर भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क पी–1 एंव पी–2 अंकित किया गया। प्लास्टीक के डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात आरोपी इन्त्याज खान, एएसआई की पेन्ट की जेबों की तलाशी लिवाई गई तो कुछ नहीं पाया गया। आरोपी इन्त्याज खान, एएसआई की उक्त पेन्ट बरंग खाकी की साईड की दाहिनी जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड करवाकर पैकेट पर मार्क ''ए'' अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी इन्त्याज खान, एएसआई द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेप पाट्री को देखकर अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की दाहिनी जेब से पॉच–पॉच सौ रूपये के नोटो की थई पुरूष बैरक की कुर्सी पर रखे काले रंग के बेग पर फेक दिये थे, उक्त पॉच–पॉच सौ रूपये के नोटो की थई पचास हजार रूपये एवं काले बैग जिस पर से रिश्वती राशि बरामद हुई को गवाह श्री अमर सिंह के पास सुरक्षित रखवाये गये थे। इन नोटो के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरूप पाये गये। बरामद नोटो के नम्बर फर्द हाथ धुलाई में अकिंत कर समस्त कुल 50,000 रूपये के नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सील्ड किया गया। तत्पश्चात श्री मनोज कुमार हैड कानि. नं. 134 के दोनो हाथो एवं एक प्लास्टीक के डिस्पोजल गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर गिलास में साफ पानी भरवाकर थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त गिलास के रंगहीन घोल में एक रूई का फोवा लेकर डुबोया गया तो घोल रंगहीन रहा। उक्त रूई के फोवे से रिश्वत राशि बरामदगी स्थल काले रंग के बेग की उपर की सतह जिस पर ओसवाल लिखा हुआ है की तरफ के स्थान को रूई के फोवे को रगड़कर गिलास के रंगहीन घोल में डुबोकर धुलावाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा–आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क बी–1, बी–2 से सील्ड किया गया। प्लास्टीक के डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। रूई के फोवे को सुखाकर एक कागज के लिफाफे में डालकर एवं रिश्वत राशि बरामदगी काले रंग के बेग के उपर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में डलवाकर मार्क –बी अकिंत कर सील्ड मोहर किया गया। तत्पश्चात आरोपी इन्त्याज खान, एएसआई को परिवादी श्री दुर्गाराम से सम्बन्धित मुकदमे की पत्रावली के सम्बन्ध में पुछा तो बताया कि ''श्री दुर्गाराम से सम्बन्धित अपराध संख्या 123/2023 पुलिस थाने मे दर्ज होकर मेरे द्वारा अनुसधान किया जा रहा है। जो पत्रावली मेरे कक्ष में मेरी टेबल पर रखी है'' जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस के कहने पर आरोपी इन्त्याज खान, एएसआई ने अपने कमरे जिस पर अनुसंधान कक्ष लिखा हुआ है के अन्दर एक टेबिल पर से अपराध संख्या 123/2023 धारा 420, 467, 468, 471 भादस की पत्रावली उठाकर पेश की जिसे बाद अवलोकन आईसी पुलिस थाना श्री हरलाल सिंह, सहायक उप निरीक्षक को सुपुर्द कर उक्त पत्रावली की फोटो प्रति करवाकर प्रमाणित प्रति पेश करने हेतु कहा। जिस पर आईसी पुलिस थाना श्री हरलाल सिंह, सहायक उप निरीक्षक ने अपराध संख्या 123/2023 धारा 420, 467, 468, 471 भादस की पत्रावली पेज संख्या 01 से 151 तक की प्रमाणित प्रति पेश की। पत्रावली के प्रथम पृष्ठ एवं अन्तिम पृष्ठ पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली शामिल कार्यवाही की गई। दौराने ट्रेप कार्यवाही लिये गये धोवन की सील्ड शीशीयां आर–1, आर–2, एल–1, एल–2, पी–1, पी–2, बी–1, बी–2, आरोपी की पहनी हुई पेन्ट के सील्ड पेकेट मार्क ए एवं सफेद कपड़े की थेली में रिश्वती राशि बरामगदी बेग के धोवन के काम में लिये गये रूई के फोवे एवं बेग के सील्ड पैकेट मार्क–बी एवं सफेद कागज पर सील्ड रिश्वती राशि पर मुतालकीन के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी रखा गया। समय 05.00 पीएम पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नियमानुसार फर्द नक्शा मौका व हालात मौका तैयार कर शामिल कार्यवाही किया गया। समय 05.30 पीएम पर श्री इन्त्याज खान, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना फतेहपुर सदर जिला सीकर को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया।

तत्पश्चात समय 06.00 पीएम पर सह परिवादी श्री रामप्रकाश द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 23.12.2023 को आरोपी श्री इन्त्याज खान, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना फतेहपुर सदर जिला सीकर से हुई बातचीत को डिजिटल वॉईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया था। उक्त डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को सह परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री अमित कुमार, कनिष्ठ सहायक से कार्यालय के लेपटॉप में जुड़वाकर रिकार्डिंग वार्ता को सुना जाकर फर्द रूपान्तरण तैयार किया गया एवं सह परिवादी के बताये अनुसार हिन्दी अनुवाद किया गया। उक्त वार्ता में सह परिवादी श्री रामप्रकाश ने स्वंय की व आरोपी श्री इन्त्याज खान, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना फतेहपुर सदर जिला सीकर की आवाज होना पहचान की। चार खाली सीडी लेकर उक्त वार्ता की लेपटॉप की सहायता से उन चारो सीडीयों में वार्ता की पृथक–पृथक कॉपी/बर्न कर सीडी तैयार की गई। मांग सत्यापन में प्रयोग किये गये उक्त डिजीटल वॉईसरिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड Samsung, 16 GB एवं दो सीडीयों की लेपटॉप की सहायता से श्री अमित कुमार कनिष्ठ सहायक से FTK Imager से सॉफटवेयर से अलग–अलग हैश वेल्यु निकालकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षकर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। लेपटॉप से डिजीटल वॉईसरिकार्डर हटाकर उसमें से मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड Samsung, 16 GB निकालकर मेमोरी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक माचिस की खाली डिबी में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " सी" अकिंत किया गया। तैयार की गई चार सीडीयों में से हैश वेल्यु निकाली गई एक सीडी पर मार्क "सी–1" एवं दूसरी सीडी पर मार्क "सी–2" अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पृथक– पृथक प्लॉस्टीक के कवर में डालकर पृथक– पृथक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड किया गया एवं कपड़े की थैली पर मार्क "सी–1" एवं "सी–2" अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडी आरोपी एंव अन्वेषण हेतु खुली रखी गई। सील्ड पैकेटो को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। इस कार्यवाही की विस्तृत फर्द डबिंग, तैयार सीडी एंव ट्रांसक्रिप्शन वार्तालाप डिजिटल वॉईस रिकार्डर दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। समय 07.30 पीएम पर सह परिवादी श्री रामप्रकाश द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 26.12.2023 को परिवादी श्री दुर्गाराम एवं आरोपी श्री इन्त्याज खान, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना फतेहपुर सदर जिला सीकर एंव स्वंय के मध्य हुई बातचीत को डिजिटल वॉईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया था। उक्त डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को परिवादी श्री दुर्गाराम, सह परिवादी श्री रामप्रकाश एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री अमित कुमार, कनिष्ठ सहायक से कार्यालय के लेपटॉप में जुड़वाकर रिकार्डिंग वार्ता को सुना जाकर फर्द रूपान्तरण तैयार किया गया एवं सह परिवादी के बताये अनुसार हिन्दी अनुवाद किया गया। उक्त वार्ता में परिवादी दुर्गाराम एंव सह परिवादी श्री रामप्रकाश ने स्वंय की व आरोपी श्री इन्त्याज खान, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना फतेहपुर सदर जिला सीकर की आवाज होना पहचान की। चार खाली सीडी लेकर उक्त वार्ता की लेपटॉप की सहायता से उन चारो सीडीयों में वार्ता की पृथक–पृथक कॉपी/बर्न कर सीडी तैयार की गई। रिश्वत लेनदेन वार्ता में प्रयोग किये गये उक्त डिजीटल वॉईसरिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड Sandisk 32 GB एवं दो सीडीयों की लेपटॉप की सहायता से श्री अमित कुमार कनिष्ठ सहायक से FTK Imager सॉफटवेयर से अलग–अलग हैश वेल्यु निकालकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। लेपटॉप से डिजीटल वॉईस रिकार्डर हटाकर उसमें से रिश्वत लेनदेन वार्ता का मेमोरी कार्ड Sandisk 32 GB निकालकर मेमोरी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक माचिस की खाली डिबी में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " डी" अकिंत किया गया। तैयार की गई चार सीडीयों में से हैश वेल्यु निकाली गई एक सीडी पर मार्क "डी–1" एवं दूसरी सीडी पर मार्क "डी–2" अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पृथक– पृथक प्लॉस्टीक के कवर में डालकर पृथक– पृथक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड किया गया एवं कपड़े की थैली पर मार्क "डी–1" एवं "डी–2" अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडी आरोपी एंव अन्वेषण हेतु खुली रखी गई। सील्ड पैकेटो को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द डबिंग, तैयार सीडी एंव ट्रांसक्रिप्शन वार्तालाप डिजिटल वॉईस रिकार्डर दौराने रिश्वत लेनदेन वार्ता पृथक से तैयार कर शामिल

पत्रावली की गई। मौके की कार्यवाही पूर्ण होने पर परिवादी श्री दुर्गाराम एवं सह परिवादी श्री रामप्रकाश को रूखसत कर मन् उप अधीक्षक मय हमराहीयान मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री इन्त्याज खान, एएसआई मय जप्त शुदा वजह सबुत के पुलिस थाना फतेहपुर सदर से एसीबी कार्यालय सीकर के लिए रवाना होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के पुलिस थाना फतेहपुर सदर से रवाना होकर रास्ते में पुलिस थाना उधोग नगर, सीकर में आरोपी को बन्द हवालात करवाकर रवाना होकर एसीबी कार्यालय में पहुॅचा। जहॉ प्रकरण का जप्त शुदा वजह सबुत माल मुताबिक फर्द जमा मालखाना करवाया गया। स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया।

अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री इन्त्याज खान पुत्र श्री उम्मेद खॉ जाति कायमखानी उम्र 55 वर्ष निवासी कायमखानी कोटड़ी वार्ड नं. 11, डुण्डलोद पुलिस थाना मुकुन्दगढ जिला झुन्झुनूं हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना फतेहपुर सदर जिला सीकर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये पुलिस थाना फतेहपुर सदर में दर्ज प्रकरण संख्या 123/2023 में परिवादी श्री दुर्गाराम को आरोपी नही बनाने की एवज में गिरफ्तारी का भय दिखाकर एक लाख रूपये रिश्वत की मांग करना तथा दिनांक 23.12.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान सह परिवादी श्री रामप्रकाश को उसके चाचा दुर्गाराम का नाम उक्त मुकदमे से निकालने की एवज में पचास हजार रूपये में सहमत होकर, मांग के अनुसरण में आज दिनांक 26.12.2023 को रिश्वत लेनदेन के समय पचास हजार रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना पृथम दृष्टया पाया जाता है। आरोपी श्री इन्त्याज खान, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना फतेहपुर सदर जिला सीकर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपी श्री इन्त्याज खान, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना फतेहपुर सदर जिला सीकर के विरूद्व उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।

(रवीन्द्र सिंह)
उप अधीक्षक पुलिस ,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर

# कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रविन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री इन्त्याज खान पुत्र श्री उम्मेद खॉ, हॉल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना फतेहपुर सदर जिला सीकर, के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 311/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

27/12/23

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 3174-77 दिनांक 27.12.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-2 जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला सीकर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।

पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।